कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी
बरेली संभाग, बरेली।

संख्या 228/20– गति सीमा मार्गवार/2019 बरेली:दिनांक जून 04 , 2020

सेवा में,

अपर परिवहन आयुक्त(स0सु0)
उत्तर प्रदेश।

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 1–06–2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शहरी क्षेत्र को छोड़कर अवशेष सभी आवश्यक मार्गो पर गति निबन्धन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 464 स0सु0/2020–44 स0सु0/2014–19 दिनांक 04–03–2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06–04–2018 में दिये गये मानक के अनुरूप की गयी कार्यवाही की प्रगति सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गति सीमा सम्बन्धी अधिसूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या 223/20–गति सीमा मार्गवार/2019 दिनांक 03–06–2020 द्वारा निर्गत कर दी गयी है। जारी अधिसूचना की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

04.06.2020.

(आर0पी0सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन)
बरेली।

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी
बरेली संभाग, बरेली।

संख्या 223 /20– गति सीमा मार्गवार/2019 बरेली:दिनांक जून 03 , 2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटर यानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर यानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमांए नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्तया मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहॉ से लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेगें।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बरेली जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0 स0	मार्ग का नाम एवं संख्या	बरेली जनपद में लम्बाई (कि0मी0 में)	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा प्रति कि0मी0 (प्रति घण्टा)			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर/चौपहिया साइकिल	चालक सहित 8 सीटों तक वाले यात्री वाहन	चालक सहित 9 से अधिक सीटों तक वाले यात्री वाहन	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	पीलीभीत–बरेली–मथुरा–भरतपुर मार्ग	25.000	50	70	60	60
2	बल्लिया–शीशगढ मार्ग	17.200	50	70	60	60
3	सेमीखेड़ा–बसुधरन–शेरगढ़ मार्ग	14.000	50	70	60	60
4	कनमन इटौआ–शरीफनगर मवई काजियानमार्ग	10.220	50	70	60	60

5	बसुधरन–इटौआ–गिरधपुर मार्ग	14.750	50	70	60	60
6	बरा बरौर अन्य जिला मार्ग	30.000	50	70	60	60
7	नवाबगंज–बिजौरिया–कुण्डरा कोठी से बहादुरगंज मार्ग	10.400	50	70	60	60
8	बहेड़ी वाहपुर नदेली मुडिया कालोनी मार्ग से धीमरी ब्रिज नवादा पचपेड़ा फरीदपुर मार्ग	16.200	50	70	60	60
9	खटीमा सितारगंज नैनीताल मार्ग से सिंघनखेड़ मार्ग	9.600	50	70	60	60
10	भेजीपुरा से अग्रास होते हुए रा0मा0–24 शंखा पुल तक	19.600	50	70	60	60
11	आटा माण्डा से धौरा शाही मिर्जापुर होते हुए बल्लिया शीशगढ़ मार्ग तक	19.600	50	70	60	60
12	राजुनगला तिलमाची गिरधरुपर मार्ग	3.880	50	70	60	60
13	सिधौली सिहौर वाया सोहना सिहौर होते हुए हल्दीकला मार्ग	20.000	50	70	60	60
14	नवाबगंज शहरी भाग	3.000	50	70	60	60
15	अभयपुर रिठौरा मार्ग	7.000	50	70	60	60
16	भिटौरा बहेड़ी मार्ग	41.800	50	70	60	60
17	बहेड़ी वाहपुर नदेली भुडिया कालोनी मार्ग	16.200	50	70	60	60
18	बहेड़ी रम्पुरा मार्ग	1.950	50	70	60	60
19	हाफिजगंज का शहरी भाग	2.420	50	70	60	60
20	हाफिजगंज सेंथल जादीपुर मार्ग	17.160	50	70	60	60
21	मण्डनपुर जवाहरपुर वारिपट्टी होते हुए उद्यमसिंह नगर तक मार्ग	15.150	50	70	60	60
22	शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग	20.000	50	70	60	60
23	बल्लिया शीशगढ़ मार्ग से रामपुर सीमा तक	2.000	50	70	60	60
24	नवीगंज बीजामऊ कटैया कैमुआ मार्ग	8.000	50	70	60	60

25	रिछा जहानाबाद मार्ग	14.400	50	70	60	60
26	बहेड़ी रूद्रपुर मार्ग	16.400	50	70	60	60
27	बल्लिया शीशगढ़ मार्ग से बिहारीपुर अकीलाबाद होते हुए बसुधरन मार्ग	14.400	50	70	60	60
28	बरेली बागेश्वर मार्ग	3.200	50	70	60	60
29	बहेड़ी बंजरिया मार्ग	15.000	50	70	60	60
30	बहेड़ी मुडिया नवीबक्श मार्ग	18.200	50	70	60	60
31	सेमीखेड़ा देवरनिया बराबरौर मार्ग	11.986	50	70	60	60
32	टांडा सादात बरा बरौर मार्ग	10.200	50	70	60	60
33	बरेली पीलीभीत मार्ग से नौआ नगला होते हुए सनेकपुर मार्ग	9.000	50	70	60	60
34	गुरूवारा जोखनपुर पुरैनिया मार्ग	4.400	50	70	60	60
34	बल्लिया शीशगढ़ मार्ग	9.000	50	70	60	60
35	भमौरा आंवला रामनगर मार्ग	30.000	50	70	60	60
36	अखा मोड़ से बलई मझगवा होते हुए इस्माइलपुर मार्ग	15.650	50	70	60	60
37	मीरगंज जाम मार्ग	5.000	50	70	60	60
38	मीरगंज सिधौली सिहौर सहोडा मार्ग	10.000	50	70	60	60
39	आंवला से उसैता मार्ग	5.805	50	70	60	60
40	बामियाना रेलवे पोषक मार्ग	1.988	50	70	60	60
41	मकरन्दुपर रेलवे पोषक मार्ग	0.300	50	70	60	60
42	आंवला बदायूँ मार्ग	8.000	50	70	60	60
43	रामनगर टाण्डा मार्ग	16.700	50	70	60	60
44	रामनगर बाड़ा गांव मार्ग	6.000	50	70	60	60

45	चम्पतपुर से रेवती बहोड़ खेड़ मार्ग	1.200	50	70	60	60
46	टांडा सिरौली मार्ग	4.700	50	70	60	60
47	आंवला विसौली मार्ग	8.500	50	70	60	60
48	देवचरा बल्लिया मार्ग	6.000	50	70	60	60
49	बल्लिया चांदपुर विशारतगंज मझगवां मार्ग	16.500	50	70	60	60
50	गैनी अखा मार्ग	13.300	50	70	60	60
51	रम्पुरा मोड़ से अलीगंज सिरौली मार्ग	40.100	50	70	60	60
52	मीरगंज सिरौली मार्ग	8.300	50	70	60	60
53	पैगा नगरी नैगवा मार्ग	0.900	50	70	60	60
54	मीरगंज दिवना मार्ग	9.600	50	70	60	60
55	पैगानगरी बहरौली मार्ग	6.500	50	70	60	60
56	मीरगंज सिधौली आबादी भाग	0.400	50	70	60	60
57	बरेली बागेश्वर मार्ग	3.500	50	70	60	60
58	बरेली बीसलपुर मार्ग	5.180	50	70	60	60
59	पीलीभीत बाईपास से चन्द्रपुर बिचपुरी मार्ग	1.000	50	70	60	60
60	कलक्टरबकगंज से जोगीठेर मार्ग	5.000	50	70	60	60
61	बुखारा मानपुर चकटिया फरीदपुर मार्ग	19.700	50	70	60	60
62	पीताम्बरपुर रेलवे पोषक मार्ग	0.350	50	70	60	60
63	फरीदपुर पडेरा मार्ग	10.000	50	70	60	60
64	बिलपुर पोषक मार्ग	0.390	50	70	60	60
65	टिसुआ शिवपुरी से नगरिया कला मार्ग	10.300	50	70	60	60
66	फतेहगंज दातागंज मार्ग	5.000	50	70	60	60

67	चैबारी मार्ग	2.300	50	70	60	60
68	ए0एच024 से गौसगंज वाया सरांय धारमपुर होते हुये फतेहगंज दातागंज मार्ग	23.200	50	70	60	60
69	नकटी नारायनपुर क्योलडिया मधुनगला सन्नौर मार्ग	9.600	50	70	60	60
70	वीरपुर भदपुरा नकटी नारायनपुर मार्ग	5.000	50	70	60	60
71	फरीदपुर बीसलपुर मार्ग से मेहत्तपुर तिजा सिंह खनपुरा होते हुए मढैया मार्ग	16.600	50	70	60	60
72	बरेली बीसलपुर मार्ग से मगरासा भौवा बाजार क्योलडिया मार्ग	17.700	50	70	60	60
73	मान चकटिया रूरिया मार्ग	7.000	50	70	60	60
74	नवाबगंज बीजामऊ कटैया कैमुआ मार्ग	19.100	50	70	60	60
75	पीलीभीत बरेली बाईपास से डोरा लालपरु सिधाई गुरवान हाते हुए केसरपुर तक	12.000	50	70	60	60
76	नरियावल बिथरी चैनपुर मार्ग(नरियावल कुआ डांडा तिराहे तक)	5.650	50	70	60	60
77	रिठौरा भण्डसर से खाईखेडा मार्ग	10.350	50	70	60	60
78	बरखन क्योलडिया नहर पटरी मार्ग	5.800	50	70	60	60
79	नवाबगंज दलेलनगर बहरजागीर मार्ग	16.000	50	70	60	60
80	फरीदपुर बीसलपुर मार्ग	19.000	50	70	60	60
81	फरीदपुर भुता मार्ग	15.500	50	70	60	60
82	जुबैदा जुबैदी से बिलासनगर भुता मार्ग	17.600	50	70	60	60
83	राजघाट सनेकपुर त्रिकुनिया मार्ग	19.000	50	70	60	60

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को

इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो–रिफलेक्टिव टैप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन।

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 या 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(राजेश प्रताप सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद बरेली।

संख्या 223 (1)/20–समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, लखनऊ।

3– जिलाधिकारी, बरेली।

4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।

5– निदेशक छपाई एवं मुद्रण, राजकीय प्रेस, जनपद रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बरेली/निर्माण खण्ड–1 लो0नि0विभाग, बरेली/निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली।

7– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

आज्ञा से

03.06.2020

(राजेश प्रताप सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद बरेली।